

28.3.24

पत्रावली पेश हुई, अधिभावकण द्वारा
न्यायिक कार्य स्थगित/बहिष्कार रखने
से पत्रावली दिनांक 28.3.24 को पेश हो।

12/4/2024

पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपर्युक्त बहस सुनी
गई बहस में वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि ग्राम
माण्डस में आ.नं 9619/4876 रकबा 0.10 बीघा
भूमि नकल जमाबन्दी सम्वत् 2062 से 2065, सम्वत्
2066 से 2069 व सम्वत् 2070 से 2073 में मांगीलाल, पिता
मदनलाल, राजेन्द्र कुमार, जितेन्द्र कुमार, केशव
चन्दना, अंजना पिता विश्वनाथ, पुष्पलता पत्नी विश्वनाथ,
29, चमशाम, बालू लाल, रामदयाल, बेरीलाल पिता
रामबिलास 29 अंवरलाल पिता रामचन्द्र 29, जमनालाल,
लक्ष्मीलाल, सोहनलाल, रमेशचन्द्र, गणपतलाल, फतेहलाल
पिता माधवलाल 13 हिल्डो कोमा ब्राह्मण सांवेहके नाम
पर संयुक्त खातेदारी से दर्ज हैं।
प्रहफि वक्त से डिजिटेशन में ऑनलाईन नकल जमाबन्दी
सम्वत् 2074 से 2077 में आ.नं 9619/4876 रकबा 0.10
बीघा के बजाय आ.नं 9619/4776 रकबा 0.1265 है।
इन खातेदारों के नाम पर गलत नम्बर दर्ज कर दिए एवं
ऑनलाईन नकली में भी आ.नं 9619/4876 के बजाय
9619/4776 गलत जगह दर्ज कर दिया जिसे दुरुस्त
किया जाना आवश्यक है। आ.नं 9619/4776 नकली
में वर्तमान में जिस जगह दर्ज किया है वहाँ पर
बिलानाम आ.नं 9469/4876 दर्ज होना चाहिये
एवं बिलानाम आ.नं 9469/4876 के स्थान खातेदारी
की आ.नं 9619/4776 (शुद्ध नम्बर 9619/4876) दर्ज
किए जाने हेतु प्रह उपरिना पत्र पेश किया है जिसे
स्वीकार प्रामाण्य जाका राजस्व रिपोर्ट में
डिजिटेशन से पूर्व की स्थिति बहाल प्रामाण्य
जावे।


पुष्प
अधिकारी
माण्डस



हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

हमने तकील आधी को सुना एवं प्रस्तुत आर्धना
पत्र एवं राजस्व रिकॉर्ड ले तथ्य इस प्रकार है कि
वादावर्तित ग्राम माण्डल की आवक नं० 9619/4776
आधी की वातेदारी एवं कवजे काश्त की गयी है
इसी प्रकार विलानाम आवक नं० 9469/4876
राजकीय भूमि है जिनके राजस्व रिकॉर्ड यथा
नफल जमाबन्दी एवं नक्शा ड्रेस में इन्द्राज दुवास्त
कराने का किसी प्रकार से अधिकारी गरी होने
से आधी का आर्धना पत्र जारी किया जाता है।
आदेश लिखा जाकर कुले न्यायालय में
सुनाया गया। पत्रावली प्यसल शुमार होकर
गन्वले कम हो।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल